संख्या–613/पांच–5–2021

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक: 03 अप्रैल, 2021

विषयः–कोविड–19 के बढते हुए संक्रमण के दृष्टिगत सर्विलेंस गतिविधियों के लिए दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 का संक्रमण पुनः बढ़ रहा है, इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि कोविड–19 से संक्रमित रोगियों/सम्पर्को की सतत्/गहन निगरानी निम्नलिखित प्रकार से की जाएः–

(1) जिला सर्विलेंस अधिकारी (डीएसओ) द्वारा प्रतिदिन धनात्मक कोविड–19 केसेस की जानकारी जिला प्रतिरक्षण अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी जो कंटेनमेंट जोन में सर्विलेंस की गतिविधियों के संचालन के लिए नोडल अधिकारी होंगे।

(2) कंटेनमेंट जोन के सर्वेक्षण हेतु आवासों की संख्या तथा टीम्स का निर्धारण–

1. प्रत्येक धनात्मक कोविड–19 केस को केंद्र मानते हुए 25 मीटर रेडियस के क्षेत्र को और एक से अधिक केस के लिए 50 मीटर के रेडियस के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा।
2. प्रदेश के वर्तमान औसत जनसंख्या घनत्व के अनुसार 25 मीटर रेडियस के क्षेत्र में लगभग 20 घर होंगे एवं 50 मीटर के रेडियस में लगभग 60 घर आएंगे (यह आंकलन नगरीय क्षेत्रों के लिए है तथा इसमें जनपद एवं क्षेत्रवार अंतर संभव है)।
3. कोविड–19 का एकल धनात्मक रोगी पाए जाने वाले दो कन्टेनमेंट जोन मे स्थित घरों को आच्छादित करने के लिए एक टीम लगाई जाएगी। एक क्षेत्र में एक से अधिक कोविड–19 पॉजिटिव केस होने पर क्लस्टर मानते हुए, क्लस्टर के मध्य बिंदु को एपीसेंटर चिन्हित करते हुए 50 मीटर के रेडियस के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक कन्टेनमेंट जोन मे स्थित घरों को आच्छादित करने के लिए एक टीम लगाई जाएगी। प्रत्येक टीम अपने क्षेत्र के घरों का भ्रमण कर अपने कार्यो की रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र पर अंकित करेगी।
4. प्रत्येक टीम में (1) स्वास्थ्य विभाग, (2) स्थानीय निकाय (शहरी क्षेत्र) अथवा ग्राम विकास/पंचायती राज (ग्रामीण क्षेत्र) तथा (3) स्थानीय प्रशासन में से एक सदस्य (कुल 3) होंगे।
5. कंटेनमेंट जोन का निर्धारण तथा गतिविधि हेतु कार्ययोजना बनाते समय पल्स पोलियो अभियान की ही भांति गतिविधि के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु का चिन्हीकरण करते हुए कार्य सम्पादित किया जाएगा।
6. प्रत्येक टीम के सदस्य अपने क्षेत्र में घर–घर जाकर जनसामान्य को कोविड रोग से बचाव तथा लक्षणों के विषय में संवेदीकरण करेंगे साथ ही खांसी, जुखाम, बुखार, साँस लेने में परेशानी आदि लक्षण वाले रोगियों को चिन्हित कर, ऐसे रोगियों का नाम, पूर्ण पता, मोबाइल नंबर तथा लक्षणों का विवरण अपने प्रपत्र पर अंकित करेंगे।

zo pankaj com-3

7. प्रत्येक पांच टीमों पर एक सुपरवाइजर चिन्हित किया जाएगा जो अपने अधीन पांचो टीम का कार्य समाप्त होने के उपरान्त, समस्त सूचनाओं का संकलन कर, जिला सर्विलेंस अधिकारी (DSO) को अपरान्ह में उपलब्ध कराएगा जो जनपद की सूचना को संकलित कर राज्य मुख्यालय को उपलब्ध कराएंगे।
8. कंटेनमेंट जोन में कोविड–19 लक्षण युक्त पाए गए सभी व्यक्तियों की जाँच हेतु नमूना संकलित कर सम्बंधित प्रयोगशाला को प्रेषित किए जाने का उत्तरदायित्व सैंपल कलेक्शन टीम के नोडल का होगा। यदि कोई नोडल अधिकारी चिन्हित नहीं है तो ऐसी स्थिति में उक्त दायित्व जिला सर्विलांस अधिकारी का होगा।
9. पूर्व में यदि एक कोविड–19 पॉजिटिव केस संसूचित होने के कारण कोई भी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और उसी क्षेत्र में पुनः एक अथवा अधिक कोविड–19 केस पुनः संसूचित होते हैं तो ऐसे क्षेत्र को क्लस्टर मानते हुए वहां पर 50 मीटर के रेडियस में लगभग 60 आवासों का सर्वेक्षण टीम द्वारा किया जाएगा (इन 60 घरों में वे घर 20 घर भी सम्मिलित होगें जिसका पूर्व में सर्वेक्षण किया गया है)। इस हेतु क्षेत्र में पाए गए सभी केसेस की भौगोलिक स्थिति के केन्द्र बिंदु को एपीसेंटर के रूप में चिन्हित किया जाएगा तथा एपीसेंटर से 50 मीटर के रेडियस में 40 पूर्व में अनाच्छादित आवास आच्छादित करने होंगे।
10. बहुमंजिला भवनों हेतु निर्देश– किसी बहुमंजिला भवन में एक कोविड धनात्मक केस संसूचित होने की स्थिति में भवन के जिस तल पर उस केस का आवास हो उस तल को कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित करते हुए तथा किसी बहुमंजिला भवन में एक से अधिक कोविड धनात्मक केस संसूचित होने की स्थिति में संबंधित टावर को कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित करते हुए उपर्युक्तानुसार संवेदीकरण तथा संदिग्ध रोगियों के चिन्हीकरण की कार्यवाही की जाएगी। ऐसी स्थिति में स्थानीय प्रशासन मुख्य चिकित्साधिकारी की सलाह के अनुसार आवश्यक निर्णय ले सकता है।
11. कंटेनमेंट जोन में टीम द्वारा चिन्हित किसी भी संभावित रोगी का चिन्हीकरण के उपरान्त 24 घंटे की अवधि में सैंपल कलेक्ट करना अनिवार्य होगा।
12. संलग्न प्रपत्र पर स्थानीय प्रशासन के सहयोग से जनपद के प्रत्येक सक्रिय धनात्मक केस के सापेक्ष उपर्युक्त दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन को अंकित करते हुए जनपद के कुल विमुक्त एवं सक्रिय कंटेनमेंट जोन्स को सूचीबद्ध कर इस सूची को प्रत्येक दिन सायं 06:00 बजे तक अद्यतन कर जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय को भी उपलब्ध कराया जाए ताकि कंटेनमेंट जोन की संख्या के आंकड़ों में समरूपता की स्थिति रहे।
13. अंतिम पॉजिटिव केस के सैंपल कलेक्शन की तिथि से 14 दिन तक संबंधित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बना रहेगा। यदि अन्तिम पॉजिटिव केस के सैंपल कलेक्शन की तिथि से 14 दिनों तक कोई अन्य केस उस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है तो ऐसे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन की सूची से बाहर कर दिया जाएगा।
14. यह भी ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक दिवस नवीन सूचित केसेज के सापेक्ष कंटेनमेंट गतिविधियाँ उसी दिन पूर्ण कर ली जाए अन्यथा की स्थिति में आगामी दिवसों में नवीन केस संसूचित होने पर कार्य लम्बित होने की स्थिति उत्पन्न होगी।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या–613(1)/पाँच–5–2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं/परिवार कल्याण/चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

विजय 2.4.21

आज्ञा से,

3.4.21

(अमित मोहन प्रसाद)

अपर मुख्य सचिव।